भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4060

सोमवार, 18 अगस्त, 2025/27 श्रावण, 1947 (शक)

न्यूनतम मजदूरी

4060. श्री राव राजेन्द्र सिंहः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कानून द्वारा लागू न्यूनतम मजदूरी के स्थान पर निर्वाह मजदूरी लागू करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस कदम से कितने कामगारों के प्रभावित होने की संभावना है और देश में कामगारों के काम/रहन-सहन की दशाओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) और (ख): न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में न्यूनतम मजदूरी के एक घटक के रूप में जीवनयापन भत्ते का प्रावधान है । तदनुसार, केंद्र सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी की मूल दरों पर परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (वीडीए) नामक जीवनयापन भत्ते में संशोधन करती है, जो मुद्रास्फीति के लिए न्यूनतम मजदूरी के संरक्षण हेतु औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर प्रति वर्ष 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से प्रभावी होकर हर छः महीने में लागू होता है।

हाल ही में, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों को युक्तिसंगत बनाया गया है और उन्हें मजदूरी संहिता, 2019 में शामिल कर लिया गया है और इसमें निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के घटकों में जीवन-यापन भत्ते का भी प्रावधान है। इसके अलावा, यह संहिता न्यूनतम मजदूरी को सभी रोजगारों में सार्वभौमिक रूप से लागू करती है और इस प्रकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत अनुसूचित रोजगारों तक सीमित न्यूनतम मजदूरी की प्रतिबंधात्मक प्रयोज्यता से आगे बढ़ती है।

******